भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 443

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: बहुराज्य सहकारी सोसायटी

443. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सहकारी समितियों हेतु एक नई नीति लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसे कानूनों में भी संशोधन करने पर विचार कर रही है जो प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों को शासित करती है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए कानून को बदलती आर्थिक नीतियों के अनुरूप रखने, प्रबंधन को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने और समितियों के जमाकर्ताओं एवं शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना के लिए प्रभावी नियामक तंत्र हो।

(ग): नया मंत्रालय "सहकारिता मंत्रालय" देश को विकसित करने के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना, उचित नीति, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना का निर्माण और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए मॉडल सहित "सहयोग से समृद्धि की ओर" दृष्टि को साकार करने, सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को मजबूत बनाने, सहकारिता-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के जनादेश के साथ बनाया गया है।

(घ) और (ड.): जी नहीं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत और शासित हैं।

*****